



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / यो0बजट-49 / 2015-553 दिनांक : 19.06.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल/पोड़ाहाट वन प्रमंडल/ कोल्हान वन प्रमंडल/ जमशेदपुर वन प्रमंडल/ चाईबासा वन प्रमंडल/सरायकेला वन प्रमंडल/ लातेहार वन प्रमंडल/ गोड्डा वन प्रमंडल/ दुमका वन प्रमंडल/ साहेबगंज वन प्रमंडल/ पाकुड़ वन प्रमंडल/जामताड़ा वन प्रमंडल/ राँची वन प्रमंडल/ गुमला वन प्रमंडल/ सिमडेगा वन प्रमंडल/खूंटी वन प्रमंडल/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका ।

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण तथा तसर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) के लिए कुल रु0 280.700 लाख (दो करोड़ अस्सी लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0बजट-53 / 2015-59 / स्वी0 व0प0 दिनांक 07.03.2017 एवं वन विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / यो0बजट-53 / 2015-20 / आ0 व0प0 दिनांक 13.05.2019 ।

**महाशय,**

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406 वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58 अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 280.700 लाख (दो करोड़ अस्सी लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	268.547
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	12.153
<b>कुल :-</b>		<b>280.700</b>

**2.** इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (घ) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग) पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796580103, 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय ज्ञारखण्ड कोषागार सहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समस्य निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।


13. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


विश्वासभाजन,

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-49 / 2015-553 दिनांक- 19.06.2019

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू हजारीबाग/ दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/ पलामू/ दुमका/ राँची/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ जमशेदपुर/ मेदिनीनगर/ दुमका/ देवघर/ राँची/ गुमला/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनुलग्नक :- यथोक्त ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0बजट-49 / 2015-553 दिनांक- 19.06.2019


प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा/ जमशेदपुर/ सरायकेला-खरसावां/ लातेहार/ दुमका/ साहेबगंज/ गोड्डा/ पाकुड़/ जामताड़ा/ डोरण्डा, राँची/ खूँटी/ गुमला/ सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण' योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			7534.87	300.00	7834.87
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा	30	2.260	0.089	2.349
2	पोडाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	60	4.521	0.178	4.699
3	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	60	4.521	0.178	4.699
4	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	150	11.302	0.446	11.748
5	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	100	7.535	0.297	7.832
6	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	120	9.042	0.356	9.398
7	गोड्डा वन प्रमण्डल, गोड्डा	70	5.274	0.207	5.481
8	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	100	7.535	0.297	7.832
9	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	30	2.260	0.089	2.349
10	पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़	30	2.260	0.089	2.349
11	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	30	2.260	0.089	2.349
12	राँची वन प्रमण्डल, राँची	100	7.535	0.297	7.832
13	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	60	4.521	0.178	4.699
14	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	120	9.042	0.358	9.400
15	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	114	8.590	0.338	8.928
16	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	120	9.042	0.357	9.399
17	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	120	9.042	0.357	9.399
18	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	120	9.042	0.357	9.399
19	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	120	9.042	0.357	9.399
20	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	120	9.042	0.357	9.399
21	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	120	9.042	0.357	9.399
योग :-		1894	142.710	5.628	148.338

प्रधान  वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर  
 वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण' योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत  
 भू-संरक्षण एवं वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं  
 वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			10283.00	500.00	10783.00
i	ii	iii	iv	v	vi
1	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	30	3.085	0.150	3.235
2	पोडाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा	30	3.085	0.150	3.235
3	कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	30	3.085	0.150	3.235
4	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	60	6.170	0.300	6.470
5	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	30	3.085	0.150	3.235
6	गोड़डा वन प्रमण्डल, गोड़डा	30	3.085	0.150	3.235
7	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	30	3.085	0.150	3.235
8	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	30	3.085	0.150	3.235
9	साहेबगंज वन प्रमण्डल, साहेबगंज	30	3.085	0.150	3.235
10	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	30	3.085	0.150	3.235
11	राँची वन प्रमण्डल, राँची	30	3.085	0.150	3.235
12	खूंटी वन प्रमण्डल, खूंटी	30	3.085	0.150	3.235
14	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	30	3.085	0.150	3.235
15	सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा	30	3.085	0.150	3.235
16	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	30	3.085	0.150	3.235
17	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	30	3.085	0.150	3.235
18	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	60	6.170	0.300	6.470
योग :-		570	58.615	2.850	61.465

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
 शारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			13280.96	750.00	14030.96
i	ii	iii	iv	v	vi
1	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	60	7.969	0.450	8.419
2	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	60	7.969	0.450	8.419
3	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	30	3.984	0.225	4.209
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	60	7.969	0.450	8.419
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची	30	3.984	0.225	4.209
6	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार	30	3.984	0.225	4.209
7	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	60	7.969	0.450	8.419
8	लातेहार वन प्रमंडल, लातेहार	60	7.969	0.450	8.419
योग :-		390	51.797	2.925	54.722

अनुलग्नक-1 (घ)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत तसर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			10283.00	500.00	10783.00
i	ii	iii	iv	v	vi
1	चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा	30	3.085	0.150	3.235
2	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	30	3.085	0.150	3.235
3	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	30	3.085	0.150	3.235
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा	30	3.085	0.150	3.235
5	सरायकेला वन प्रमण्डल	30	3.085	0.150	3.235
योग :-		150	15.425	0.750	16.175

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

अनुलग्नक-2 (क)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर  
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 249.83 रुपये प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
<b>(A) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)</b>						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हेक्टेक्टर	14.00	3497.62	0.00	3497.62
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी०/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेक्टेक्टर	0.00	0.00	300.00	300.00
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3037.93		3037.93
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हेक्टेक्टर	4.00	999.32		999.32
योग :-			30.16	7534.87	300.00	7834.87

अनुलग्नक-2 (ख)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर  
योजना का नाम— वनभूमि/ तसर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी० x 2 मी०)

मजदूरी दर : 249.83 रुपये प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
<b>(A) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)</b>						
1	एक कोड़नी-निकौनी	हेक्टेक्टर	23.00	5746.09	0.00	5746.09
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	500.00	500.00
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेक्टेक्टर तक)	स्थल	12.16	3037.93	0.00	3037.93
4	घेरान की मरम्मत	चेन	6.00	1498.98	0.00	1498.98
	योग—		41.16	10283.00	500.00	10783.00

अनुलग्नक-2 (ग)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर  
योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मीटर  $\times$  2 मीटर

मजदूरी दर : 249.83 रुपये प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
<b>(A) सम्पोषण कार्य (पंचम वर्ष)</b>						
1	एक कोडनी-निकौनी	हेक्टेक्टर	35.00	8744.05	0.00	8744.05
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेक्टेक्टर	0.00	0.00	750.00	750.00
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3037.93		3037.93
4	घेरान की मरम्मत	6 चेन प्रति हेक्टेक्टर	6.00	1498.98		1498.98
योग :-			53.16	13280.96	750.00	14030.96

  
प्रधान मुख्य चन संरक्षक, विकास,  
शारखण्ड, राँची



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-49/2015/553

दिनांक -

19-Jun-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103	31375	SGHFOR011 SRI RAJNEESH KUMAR D.F.O.SARANDA FOREST DIV.IFS	226,000.00 रुपये दो लाख छव्वीस हजार
2	S 19 240601796580103	31376	SGHFOR003 SRI.SHIV KUMAR PRASAD D.F.O.PORAHAT FOREST DIV.	760,600.00 रुपये सात लाख साहठ हजार छ: सौ
3	S 19 240601796580103	31377	SGHFOR002 SRI ABHISHEK BHUSHAN IFS D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	760,600.00 रुपये सात लाख साहठ हजार छ: सौ
योग:				1,747,200.00
क्रमिक योग:		रुपये स ब्र ह लाख सेतालीस हजार दो सौ		

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

(PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme	31378	SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	रुपये पच्चीस लाख चावालीस हजार एक सौ
5	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme	31379	SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	रुपये तेरह लाख सत्तर हजार पाँच सौ
6	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी State Scheme	31380	ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	रुपये छब्बीस लाख छब्बीस हजार छ: सौ
				State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA


योगः

6,541,200.00

क्रमिक योगः

रुपये बयासी लाख अद्यासी हजार चार सौ

8,288,400.00



(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796580103	31381	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	2,009,600.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme		रुपये बीस लाख नौ हजार छ: सौ	
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
8	S 19 240601796580103	31382	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	835,900.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme		रुपये आठ लाख पैंतीस हजार नौ सौ	
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
9	S 19 240601796580103	31383	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	2,167,400.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme		रुपये इक्कीस लाख सङ्सठ हजार चार सौ	
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
				5,012,900.00
योग:				13,301,300.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड तैतीस लाख एक हजार तीन सौ			



(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796580103	31384	SBJFOR001 MAHALING DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	534,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			रुपये पाँच लाख चौतीस हजार पाँच सौ
11	S 19 240601796580103	31385	PKRFOR001 MAHALING DIVISIONAL FOREST OFFICER	534,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			रुपये पाँच लाख चौतीस हजार पाँच सौ
12	S 19 240601796580103	31386	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	534,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			रुपये पाँच लाख चौतीस हजार पाँच सौ


योगः


1,603,500.00

क्रमिक योगः


रुपये एक करोड उनचास लाख चार हजार आठ सौ


14,904,800.00

  
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
 PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31387	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FOREST DIVISION RA	1,062,000.00 रुपये दस लाख बासठ हजार
14	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31389	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	760,600.00 रुपये सात लाख साहठ हजार छ: सौ
15	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31391	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	1,212,700.00 रुपये बारह लाख बारह हजार सात सौ
<hr/>				
योग:				3,035,300.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड उन्नासी लाख चालीस हजार एक सौ			17,940,100.00
<hr/>				
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF DEV.JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं ठाययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31393	RNCFOR01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	308,500.00
17	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31394	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	1,257,400.00
18	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भर्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31395	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	1,212,700.00
<hr/>				
योग:				2,778,600.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड़ सात लाख अठारह हजार सात सौ			20,718,700.00

  
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
 PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31396	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	1,701,100.00 रुपये स त्र ह लाख एक हजार एक सौ
20	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31397	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	1,611,100.00 रुपये सोलह लाख ग्यारह हजार एक सौ
21	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31398	LTRFOR004 MANEL TUDU D.F.O. SFD LATEHAR	1,611,100.00 रुपये सोलह लाख ग्यारह हजार एक सौ
<hr/>				
योग:				4,923,300.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड छप्पन लाख बयालीस हजार			25,642,000.00
<hr/>				
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 240601796580103	31399	DMKFOR003	1,212,700.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		NAND KISHOR SHARMA	रुपये बारह लाख बारह हजार सात
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		(S.F.S)	सौ
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		D.F.O.S.F.DIVDUMKA	
	01 - वेतन एवं भत्ते			
	03 - मजदूरी			
	<b>State Scheme</b>			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			
23	S 19 240601796580323	31400	SGHFOR011	8,900.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI RAJNEESH KUMAR	रुपये आठ हजार नौ सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.SARANDA	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		FOREST DIV.IFS	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	<b>State Scheme</b>			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			
24	S 19 240601796580323	31401	SGHFOR003	32,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI.SHIV KUMAR	रुपये बत्तीस हजार आठ सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		PRASAD	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		D.F.O.PORAHAT	
	03 - प्रशासनिक व्यय		FOREST DIV.	
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	<b>State Scheme</b>			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)			
	Central Scheme : NA			


योगः


1,254,400.00


क्रमिक योगः

रुपये दो करोड अडसठ लाख छयानवे हजार चार सौ

26,896,400.00

  
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
 PCCF DEV JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 240601796580323	31402	SGHFOR002 SRI ABHISHEK BHUSHAN IFS D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA	32,800.00 रुपये बत्तीस हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	<b>State Scheme</b>			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
26	S 19 240601796580323	31403	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	119,600.00 रुपये एक लाख उन्नीस हजार छः सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	<b>State Scheme</b>			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
27	S 19 240601796580323	31404	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO.CHAIBASA FOREST DIV.	59,700.00 रुपये उनसठ हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	<b>State Scheme</b>			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
<hr/>				
योग:				212,100.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड़ इकहत्तर लाख आठ हजार पाँच सौ			27,108,500.00
				
		(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)		
		PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI		

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31405	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	125,700.00
29	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31406	LTRFOR001 VED PRAKASH KAMBOJ DFO FOREST DIV LATEHAR	95,600.00
30	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31407	GDDFOR164 ARVIND KUMAR DFO GODDA FOREST DIVISION	35,700.00
<hr/>				
योग:				257,000.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड़ तीन सौ लाख पैसठ हजार पौंच सौ			27,365,500.00
<hr/>				
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS) PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31408	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	104,700.00
32	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31409	SBJFOR001 MAHALING DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	23,900.00
33	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31410	PKRFOR001 MAHALING DIVISIONAL FOREST OFFICER	23,900.00


योगः

क्रमिक योगः

रुपये दो करोड पचहत्तर लाख अठारह हजार

152,500.00

27,518,000.00



(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 240601796580323	31411	JMTFOR001	23,900.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SUSHIL SOREN.	रुपये तेहस हजार नौ सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O. JAMTARA	
	58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	<b>State Scheme</b>			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		
35	S 19 240601796580323	31412	DRNFWL013	44,700.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SHABA ALAM ANSARI	रुपये चवालीस हजार सात सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		DFO. RANCHI FORES	
	58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		DIvision RA	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	<b>State Scheme</b>			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		
36	S 19 240601796580323	31413	GMLFOR001	32,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRIKANT	रुपये बत्तीस हजार आठ सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O. GUMLA	
	58 - अधिसूचित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	23 - आपूर्ति एवं सामग्री			
	<b>State Scheme</b>			
	State Scheme :	AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278)		
	Central Scheme :	NA		

योगः

101,400.00

क्रमिक योगः

रुपये दो करोड छहत्तर लाख उन्नीस हजार चार सौ

27,619,400.00

  
 (SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
 PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
37	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31414	SDGFOR002 PRAWESH AGRAWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD	50,800.00 रुपये पचास हजार आठ सौ
38	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31415	RNCFOR01 NIRANJAN PRASAD DEO D.F.O KHUNTI	15,000.00 रुपये पंद्रह हजार
39	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31416	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	56,300.00 रुपये छप्पन हजार तीन सौ


योग:

122,100.00

क्रमिक योग:

रुपये दो करोड सित्योत्तर लाख इकतालीस हजार पाँच सौ

27,741,500.00




SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS  
PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
40	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31418	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	50,700.00 रुपये पचास हजार सात सौ
41	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31420	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR.	80,700.00 रुपये अस्ती हजार सात सौ
42	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31421	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	73,200.00 रुपये तीहत्तर हजार दो सौ
योग:				204,600.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड उन्नासी लाख छयालीस हजार एक सौ			27,946,100.00

*[Signature]*  
(SRI. VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
43	S 19 240601796580323	31422	LTRFOR004 MANEL TUDU D.F.O. SFD LATEHAR	73,200.00 रुपये तीहतर हजार दो सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			
44	S 19 240601796580323	31423	DMKFOR003 NAND KISHOR SHARMA (S.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA	50,700.00 रुपये पचास हजार सात सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme			
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			

योग:	123,900.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड अस्सी लाख सत्तर हजार 28,070,000.00

  
(BRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)  
PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI